



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022024-252231
CG-DL-E-19022024-252231

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19, 2024/माघ 30, 1945

No. 105]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 2024/MAGHA 30, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2024

सं. 11/2024-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 116(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड. (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------------------------------|--|------|
| "14 | 5201 (5201 00 25 के अलावा) | सभी वस्तुएं (32.0 मिमी से अधिक स्टेपल लंबाई वाले सामान के अलावा) | 5% " |

2. यह अधिसूचना 20 फरवरी, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/288/2021- टीओ (टीआरयू -I)]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2021 को सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 5/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 22 जनवरी, 2024, जिसे सा.का.नि.55 (अ), दिनांक 22 जनवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2024

No. 11/2024-Customs

G.S.R. 116(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2021 – Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021, namely:-

In the said notification, in the Table, for serial number 14 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|------|---|---|------|
| “14. | 5201 (other than 5201 00 25) | All goods (Other than goods of staple length exceeding 32.0 mm) | 5%”. |

2. This notification shall come into force on the 20th of February, 2024.

[F. No. CBIC-190354/288/2021-TO(TRU-I)]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021, and last amended *vide* notification No. 05/2024-Customs, dated the 22nd January, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 55(E), dated the 22nd January, 2024.